


कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश के द्वारा आर.पी.एस.सी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नांकित कार्मिकों के उनके सामने अंकित कॉलम सं. 5 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-


क्र. सं.	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक व आवेदक की अंकित क्रम संख्या	संशोधन
1	2	3	4	5
1	उषा शर्मा	वाणिज्य	क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2 /प्रो0टे0-इतिहास -वाणिज्य/ नियमितिकरण-स्थाईकरण/ 2018 दिनांक 09.03.18	कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि सैपउ- धौलपुर के स्थान पर राउमावि भानपुरकलां-जयपुर किया जाता है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढी जावें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति.-वाणि./स्थायी./संशोधन/2018 दिनांक:-26.04.18
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-I/II)...
4. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/ओ.ए.सी. प्रभाग कार्यालय हाजा
6. सिस्टम ऐनेलेसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग अनुभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड हेतु
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर